रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2005/माघ 13, 1926
No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005/MAGHA 13, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 54(अ).— प्रतिभूति संविदा(विनियमन) अधिनियम, 1956(1956 का 42) की धारा 22क के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा(विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1. (i) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा(विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) नियमावली,2005 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा(विनियमन)(प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में, (जिसे यहां इसके पश्च उक्त नियमावली कहा गया है), परिभाषाओं से संबंधित नियम 1 का नियम "2" के रूप में पुर्नसंख्यांकन किया जाएगा,और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित नियम 2 में,खंड (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :-

'(घक) "सदस्य" का अर्थ है,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य।'

3. उक्त नियमावली के नियम 5 में, इसे उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :-

" (2) पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान सरकार अन्य दो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उस स्थान पर, जहां इसका कार्यालय अवस्थित है अथवा इसके क्षेत्राधिकारांतर्गत आने वाले किसी अन्य स्थान पर, जैसा अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त समझे, न्यायाधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत करेगी।"

4. उक्त नियमावली के नियम 7 में, उप-नियम (2) में आंकड़ा "3" के लिए, शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमावली के नियम 8 में,उप-नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील पीठासीन अधिकारी को अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत सदस्य को ऐसा आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर की जाएगी, इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।"

6. उक्त नियमावली के नियम 9 में, उपनियम (1) एवं (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ उप-नियम (2) में यथा उपबंधित शुल्क अदा किया जाएगा तथा ऐसा शुल्क "पंजीयक, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण" के पक्ष में रजिस्टरी की अवस्थिति के शहर में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित किया जाएगा।

(2) अधिनियम के अन्तर्गत किए गए न्यायनिर्णयन आदेशों के विरूद्ध अपील के संबंध में संदेय शुल्क की राशि निम्न प्रकार होगी :-

सारणी

क्र.सं. (1)	अधिरोपित शास्ति की राशि (2)	संदेय शुल्क की राशि (3)
(i)	दस हजार रुपए से कम	500 रुपए
(ii)	दस हजार रुपए या उससे अधिक किन्तु एक लाख रुपए से कम	1200 रुपए
(iii)	एक लाख रुपए या उससे अधिक	1200 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख रुपए की शास्ति या उसके भाग के लिए 500 रुपए,अधिकतम 1,50,000 रूपए की शर्त के साथ।

7. उक्त नियमावली के नियम 11 में उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(1) प्रत्येक अपील ज्ञापन पांच प्रतियों में होगा तथा उनके साथ उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है,की प्रतियां लगाई जाएंगी जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी।"

8. उक्त नियमावली के नियम 14 में, उपनियम (1) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "पांच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली के नियम 16 में, उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :--

"बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी अथवा नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत सरकार द्वारा प्राधिकृत सदस्य की अनुपस्थिति में, पीठासीन अधिकारी उस दिन उपस्थित दूसरे सदस्य को बोर्ड की अथवा अपील के विरूद्ध प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है।"

10. उक्त नियमावली के नियम 17 में, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"पीठासीन अधिकारी, सदस्यों के लिए तथा पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक संबंधी विनियम" ; "(1) पीठासीन अधिकारी की पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा बंद या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। दो अन्य सदस्यों के लिए पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा काली टाई या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। महिला पीठासीन अधिकारी या सदस्य के मामले में,पोशाक सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट होगी।"

(2) पक्षकार के नियमित कर्मचारी के किसी संबंधी को छोड़कर प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी व्यावसायिक पोशाक, यदि कोई हो, में तथा यदि ऐसी कोई पोशाक न हो तो पुरूष सूट में या पैंट के ऊपर बटन वाले कोट में या राष्ट्रीय पोशाक में अर्थात धोती एवं चूड़ीदार पायजामें के ऊपर लम्बे ऊपर तक बंद बटन वाले कोट में, तथा महिला सफेद या किसी अन्य सुफियाने रंग की साड़ी के ऊपर कोट में या किसी अन्य सादी पोशाक में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होगी।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अन्य व्यक्तियों की पोशाक शिष्ट होगी।"

11. उक्त नियमावली के नियम 18 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"18. आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तारीख डाली जाएगी :- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश पीठासीन अधिकारी तथा उसके अन्य दो सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा। पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन अंतरिम आदेश या निषेधादेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिन्हें वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

(2) आदेशों की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण की बैठक में की जाएगी।"

12. उक्त नियमावली के नियम 25 में :-

(i) उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(1) रजिस्ट्रार पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपने कार्य पूरे करेगा। वह ऐसे अन्य कार्य पूरे करेगा जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में, नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा लिखित रूप में पृथक आदेश द्वारा सौंपे जाएं" ;

(ii) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(4) पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण की शासकीय मुद्रा किसी आदेश, सम्मन या अन्य आदेशिका पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के अधीन लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं।"

13. उक्त नियमावली के नियम 26 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"26. रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कार्य तथा कर्त्तव्य :- नियमावली में सौंपे गए कार्यों तथा कर्त्तव्य के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के, पीठासीन अधिकारी अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा कार्य होंगे, नामतः :-

(i) सभी अपीलें, प्रत्युत्तर और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना ;

(ii) अपील की संवीक्षा से उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का उनके पंजीकृत किए जाने के पूर्व विनिश्चय करना ;

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई किसी अपील में नियम के अनुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना ;

(iv) पीठासीन अधिकारी या उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य के निर्देशों के अधीन रहते हुए, अपील या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके संबंध में सूचनाएं जारी करना ;

(v) अभिलेखों के किसी प्रारूपिक संशोधन का निर्देश देना ;

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां दिलाए जाने का आदेश देना ;

(vii) अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने की इजाजत देना ;

(viii) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं की तामील, नई सूचना के जारी किए जाने के लिए आवेदन या प्रत्यर्थी पर तामील के लिए समय बढ़ाने या तामील की एक विशिष्ट विधि रखने का आदेश देना, जिसके अन्तर्गत समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से सूचना के प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित तामील शामिल है, से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना ; और

(ix) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेख मंगवाना।

[फा. सं. 5/33/सीएम/03]

यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 18 फरवरी,2000 के सा.का.नि.144(अ)के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sections 22A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely:-

1 (i) These rules may be called as Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Rules, 2005.

2. In Securities contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, (hereinafter referred to as the said rules), rule 1 relating to the Definitions shall be renumbered as rule "2" thereof, and in rule 2 as so renumbered, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) 'Member' means the member of the Securities Appellate Tribunal appointed under section 15 L of the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)."

3. Rule 5 of the said rules shall be numbered as sub-rule (1) there of, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

" (2) In the temporary absence of the Presiding Officer, Government may authorise one of the two other Members to preside over the sitting of the Tribunal either at a place where its office is situated or at such other place falling within its jurisdiction as it may deem fit by the Appellate Tribunal".

4. In rule 7 of the said rules, in sub rule (2), for the figure "3", the word "five" shall be substituted.

5. In rule 8 of the said rules, for sub rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within 15 days of receiving of such order to the Presiding Officer or in his temporary absence, to the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, whose decision thereon shall be final."

6. In rule 9 of the said rules, for sub-rules (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

" (1) Every memorandum of appeal shall be accompanied with a fee as provided in sub-rule (2) and such fee may be remitted in the form of crossed demand draft drawn on any nationalized bank in favour of "the Registrar, Securities Appellate Tribunal" payable at the station where the registry is located.

(2) The amount of fee payable in respect of appeal against adjudication orders made under the Act shall be as follows:

TABLE

Serial number	Amount of Penalty Imposed	Amount of fees payable
(1)	(2)	(3)
i	Less than rupees ten thousand	Rs.500
ii	Rupees ten thousand or more but less than one lakh.	Rs.1200
iii	Rupees one lakh or more	Rs.1200 plus Rs.500 for every additional one lakh of penalty or fraction thereof subject to a maximum of Rs.1,50,000.

7. In rule 11 of the said rules, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:

" (1) Every memorandum of appeal shall be in five copies and shall be accompanied with copies of the order, at least one of which shall be a certified copy, against which the appeal is filed".

8. In rule 14 of the said rules, in sub rule (1), for the word "three", the word "five" shall be substituted.

9. **In rule 16** of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that in case of temporary absence of the Presiding Officer or of the Member authorised by the Government under sub-rule (2) of rule 5, the Presiding Officer can authorise the other Member present on that day to hear the Board or authorised representative against the appeal".

10. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"Dress regulations for the Presiding Officer, Members and for the representative of the parties:- (1) The dress for the Presiding Officer shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and band or buttoned up black coat and band. The dress for the two other Members shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and black tie or buttoned up black coat. In the case of a female Presiding Officer or a Member, the dress shall be black coat over a white saree.

(2) Every authorized representative, other than a relative or regular employee of the party shall appear before the Appellate Tribunal in his professional dress if any, and if there is no such dress, a male, in a suit or buttoned-up coat over a pant or national dress, that is a long buttoned up coat on dhoti or churidar pyjama, and a female, in a coat over white or any other sober coloured saree or in any other sober dress.

(3) All other persons appearing before the Appellate Tribunal shall be properly dressed."

11. For rule18 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"18. Order to be signed and dated:- (1) Every order of the Appellate Tribunal shall be signed and dated by the Presiding Officer and the two other Members. The Presiding Officer will have powers to pass such interim orders or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which it considers necessary in the interest of justice.

(2) Orders shall be pronounced in the sitting of the Appellate Tribunal by the Presiding Officer or in case of the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5".

12. in rule 25 of the said rules:- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(1) The Registrar shall discharge his functions under the general superintendence of the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5. He shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules by the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, by a separate order in writing;

(2) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (4) Subject to any general or special direction by the Presiding Officer, or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, the official seal of the Appellate Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing from the Registrar."

13. For rule 26 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"26. Additional functions and duties of Registrar:- In addition to the functions and duties assigned in the rules, the Registrar shall have the following functions and duties subject to any general or special order of the Presiding Officer or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, namely:-

(i) to receive all appeals, replies and other documents;

(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeal before they are registered;

(iii) to require any appeal presented to the Appellate Tribunal to be amended in accordance with the rule;

(iv) subject to the directions of the Presiding Officer, or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, to fix a date of hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;

(v) to direct any formal amendment of records;

(vi) to order grant of copies of documents to parties to proceedings;

(vii) to grant leave to inspect the record of the Appellate Tribunal;

(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, application for the issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a respondent including a substituted service by publication of the notice by way of advertisement in the newspapers; and

(ix) for requisition of records from the custody of any court or other authority".

[F. No. 5/33/CM/03]

U.K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 144(E) dated 18th February, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 55(अ).—निक्षेपागार अधिनियम, 1996(1996 का 22) की धारा 23 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1. (1) इन नियमों को निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील)(संशोधन) नियमावली,2005 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में, (जिसे यहां इसके पश्च उक्त नियमावली कहा गया है), नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :-

(ड.क) "सदस्य" का अर्थ है,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य।"

3. उक्त नियमावली के नियम 5 में, इसे उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :-

" (2) पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान सरकार अन्य दो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उस स्थान पर, जहां इसका कार्यालय अवस्थित है अथवा इसके क्षेत्राधिकारांतर्गत आने वाले किसी अन्य स्थान पर, जैसा अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त समझे, न्यायाधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत करेगी।"

4. उक्त नियमावली के नियम 7 में, उप-नियम (2) में आंकड़ा "3" के लिए, शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमावली के नियम 8 में,उप-नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील पीठासीन अधिकारी को अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत सदस्य को ऐसा आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर की जाएगी, इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।"

368 GI/05-2

6. उक्त नियमावली के नियम 9 में, उपनियम (1) एवं (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ उप-नियम (2) में यथा उपबंधित शुल्क अदा किया जाएगा तथा ऐसा शुल्क "पंजीयक, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण" के पक्ष में रजिस्टरी की अवस्थिति के शहर में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित किया जाएगा।

(2) अधिनियम के अन्तर्गत किए गए न्यायनिर्णयन आदेशों के विरूद्ध अपील के संबंध में संदेय शुल्क की राशि निम्न प्रकार होगी :-

सारणी

क्र.सं. (1)	अधिरोपित शास्ति की राशि (2)	संदेय शुल्क की राशि (3)
(i)	दस हजार रुपए से कम	500 रुपए
(ii)	दस हजार रुपए या उससे अधिक किन्तु एक लाख रुपए से कम	1200 रुपए
(iii)	एक लाख रुपए या उससे अधिक	1200 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख रुपए की शास्ति या उसके भाग के लिए 500 रुपए, अधिकतम 1,50,000 रुपए की शर्त के साथ।

7. उक्त नियमावली के नियम 11 में उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(1) प्रत्येक अपील ज्ञापन पांच प्रतियों में होगा तथा उनके साथ उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है,की प्रतियां लगाई जाएंगी जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी।"

8. उक्त नियमावली के नियम 14 में, उपनियम (1) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "पांच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली के नियम 16 में, उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :--

"बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी अथवा नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत सरकार द्वारा प्राधिकृत सदस्य की अनुपस्थिति में, पीठासीन अधिकारी उस दिन उपस्थित दूसरे सदस्य को बोर्ड की अथवा अपील के विरूद्ध प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है।"

10. उक्त नियमावली में नियम 17 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"पीठासीन अधिकारी, सदस्यों के लिए तथा पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक संबंधी विनियम" ; "(1) पीठासीन अधिकारी की पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा बंद या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। दो अन्य सदस्यों के लिए पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा काली टाई या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। महिला पीठासीन अधिकारी या सदस्य के मामले में, पोशाक सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट होगी।"

(2) पक्षकार के नियमित कर्मचारी के किसी संबंधी को छोड़कर प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी व्यावसायिक पोशाक, यदि कोई हो, में तथा यदि ऐसी कोई पोशाक न हो तो पुरूष सूट में या पैंट के ऊपर बटन वाले कोट में या राष्ट्रीय पोशाक में अर्थात धोती एवं चूड़ीदार पायजामें के ऊपर लम्बे ऊपर तक बंद बटन वाले कोट में, तथा महिला सफेद या किसी अन्य सुफियाने रंग की साड़ी के ऊपर कोट में या किसी अन्य सादी पोशाक में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होगी।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अन्य व्यक्तियों की पोशाक शिष्ट होगी।"

11. उक्त नियमावली के नियम 18 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"18. आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तारीख डाली जाएगी :- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश पीठासीन अधिकारी तथा उसके अन्य दो सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा। पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन अंतरिम आदेश या निषेधादेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिन्हें वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

(2) आदेशों की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण की बैठक में की जाएगी।"

12. उक्त नियमावली के नियम 25 में :-

(i) उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(1) रजिस्ट्रार पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अपने कार्य पूरे करेगा। वह ऐसे अन्य कार्य पूरे करेगा जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में, नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा लिखित रूप में पृथक आदेश द्वारा सौंपे जाएं" ;

(ii) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(4) पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत सदस्य द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण की शासकीय मुद्रा किसी आदेश, सम्मन या अन्य आदेशिका पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के अधीन लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं।"

13. उक्त नियमावली के नियम 26 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"26. रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कार्य तथा कर्त्तव्य :- नियमावली में सौंपे गए कार्यों तथा कर्त्तव्य के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के, पीठासीन अधिकारी अथवा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा कार्य होंगे, नामतः :-

(i) सभी अपीलें, प्रत्युत्तर और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना ;

(ii) अपील की संवीक्षा से उद्‌भूत होने वाले सभी प्रश्नों का उनके पंजीकृत किए जाने के पूर्व विनिश्चय करना ;

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई किसी अपील में नियम के अनुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना ;

(iv) पीठासीन अधिकारी या उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत सदस्य के निर्देशों के अधीन रहते हुए, अपील या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके संबंध में सूचनाएं जारी करना ;

(v) अभिलेखों के किसी प्रारूपिक संशोधन का निर्देश देना ;

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां दिलाए जाने का आदेश देना ;

(vii) अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने की इजाजत देना ;

(viii) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं की तामील, नई सूचना के जारी किए जाने के लिए आवेदन या प्रत्यर्थी पर तामील के लिए समय बढ़ाने या तामील की एक विशिष्ट विधि रखने का आदेश देना, जिसके अन्तर्गत समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से सूचना के प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित तामील शामिल है, से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना ; और

(ix) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेख मंगवाना।

[फा. सं. 5/33/सीएम/03]

यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 18 फरवरी,2000 के सा.का.नि.143(अ)के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 read with section 23 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da) 'Member' means the Member of the Securities Appellate Tribunal appointed under section 15 L of the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)."

3. In rule 5 of the said rules, shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) In the temporary absence of the Presiding Officer, Government may authorise one of the two other Members to preside over the sitting of the Tribunal either at a place where its office is situated or at such other place falling within its jurisdiction as it may deem fit by the Appellate Tribunal."

4. In rule 7 of the said rules, in sub rule (2), for the figure "3", the word "five" shall be substituted.

5. In rule 8 of the said rules, for sub rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within 15 days of receiving of such order to the Presiding Officer or in his temporary absence, to the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, whose decision thereon shall be final."

6. In rule 9 of the said rules, for sub-rules (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

" (1) Every memorandum of appeal shall be accompanied with a fee as provided in sub-rule (2) and such fee may be remitted in the form of crossed demand draft drawn on any nationalized bank in favour of "The Registrar, Securities Appellate Tribunal" payable at the station where the registry is located.

(2) The amount of fee payable in respect of appeal against adjudication orders made under the Act shall be as follows:

TABLE

Sl. No. (1)	Amount of Penalty Imposed (2)	Amount of fees payable (3)
(i)	Less than rupees ten thousand	Rs.500
(ii)	Rupees ten thousand or more but less than one lakh.	Rs.1200
(iii)	Rupees one lakh or more	Rs.1200 plus Rs.500 for every additional one lakh of penalty or fraction thereof subject to a maximum of Rs.1,50,000.

7. In rule 11 of the said rules, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (1) Every memorandum of appeal shall be in five copies and shall be accompanied with copies of the order, at least one of which shall be a certified copy, against which the appeal is filed."

8. In rule 14 of the said rules, in sub rule (1), for the word "three", the word "five" shall be substituted.

9. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that in case of temporary absence of the Presiding Officer or of the Member authorised by the Government under sub-rule (2) of rule 5, the Presiding Officer can authorise the other Member present on that day to hear the Board or authorised representative against the appeal."

10. For Rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

(1) "Dress regulations for the Presiding Officer, Members and for the representative of the parties"; " (1) The dress of the Presiding Officer shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and band or buttoned up black coat and band. The dress for the two other Members shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and black tie or buttoned up black coat. In the case of a female Presiding Officer or a Member, the dress shall be black coat over a white saree.

(2) Every authorized representative, other than a relative of regular employee of the party shall appear before the appellate tribunal in his professional dress if any, and if there is no such dress a male, in a suit or buttoned-up coat over a pant or national dress that is a long buttoned up coat on dhoti & churidar pyjama, and a female, in a coat over a white or any other sober coloured saree or in any other sober dress.

(3) All other persons appearing before the Appellate Tribunal shall be properly dressed."

11. For rule18, the following rule shall be substituted, namely:-

"18. Order to be signed and dated:- (1) Every order of the Appellate Tribunal shall be signed and dated by the Presiding Officer and the two other Members. The Presiding Officer will have powers to pass such interim orders or injunctions, subject to reasons to be recorded in writing, which it considers necessary in the interest of justice.

(2) Orders shall be pronounced in the sitting of the Appellate Tribunal by the Presiding Officer or in case of the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5."

12. In rule 25 of the said rules:-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:_

" (i) The Registrar shall discharge his functions under the general superintendence of the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5. He shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules by the Presiding Officer or in the temporary absence of the Presiding Officer, by the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, by a separate order in writing";

(ii) for sub-rule (4), the following shall sub-rule be substituted, namely:-

" (4) Subject to any general or special direction by the Presiding Officer, or in the temporary absence of the Presiding Officer, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, the official seal of the Appellate Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing from the Registrar".

13. For rule 26 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"26. Additional functions and duties of Register :- In addition to the functions and duties assigned in the rules, the Registrar shall have the following functions and duties subject to any general or special order of the Presiding Officer or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, namely:-

(i) to receive all appeals, replies and other documents;

(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeal before they are registered;

(iii) to require any appeal presented to the Appellate Tribunal to be amended in accordance with the rule;

(iv) subject to the directions of the Presiding Officer, or in his temporary absence, the Member authorized under sub-rule (2) of rule 5, to fix a date of hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;

(v) to direct any formal amendment of records;

(vi) to order grant of copies of documents to parties to proceedings;

(vii) to grant leave to inspect the record of the Appellate Tribunal;

(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, application for the issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a respondent including a substituted service by publication of the notice by way of advertisement in the newspapers; and

(ix) for requisition of records from the custody of any court or other authority".

[F. No. 5/33/CM/03]

U.K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 143(E) dated 18th February, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 56(अ).— भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15) की धारा 15न और 15प के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण(प्रक्रियाविधि) नियमावली, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1 (i) इन नियमों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रियाविधि)(संशोधन) नियमावली,2005 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रियाविधि) नियमावली,2000 में,—

(क) --नियम 7 में, उप-नियम 2 में, "3 सेट" अंक एवं शब्द के लिए शब्द "पांच सेट" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) नियम 9 में, उप-नियम (2) में, खंड (i) में सारणी में "संदेय शुल्क की राशि" शीर्षक के तहत, मौजूदा प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः :-

"अधिकतम 1,50,000 रूपए के अध्यधीन 1200 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख रूपए या उसके भाग के लिए 500 रूपए की शास्ति" ।

(ग) नियम 17 में, उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,नामतः :-

"पीठासीन अधिकारी की पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा बंद या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। दो अन्य सदस्यों के लिए पोशाक सफेद या धारीदार या काली पैंट, सफेद कमीज के ऊपर काला कोट तथा काली टाई या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी। महिला पीठासीन अधिकारी या सदस्य के मामले में, पोशाक सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट होगी।"

[फा. सं. 5/33/सीएम/03]

यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 18 फरवरी,2000 के सा.का.नि.142(अ)के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा संशोधन नियमावली, 2003 को 31 अक्तूबर,2003 के सा.का.नि. 850(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 56(E).— exercise of the powers conferred by section 29 read with sections 15T and 15U of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000, namely:-

1 (i) These rules may be called as Securities Appellate Tribunal (Procedure) (Amendment) Rules, 2005.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Appellate tribunal (procedure) Rules, 2000,-

(a) - in rule 7, in sub rule (2), for the figure and word "3 sets" the words "five sets" shall be substituted.

(b) in rule 9, in sub-rule (2), in clause (i) in the Table against serial number 3, under the heading "Amount of fees payable", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Rs. 1200 plus Rs.500 for every additional one lakh of penalty or fraction thereof, subject to a maximum of Rs.1,50,000".

(c) in rule 17, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"The dress of the Presiding Officer shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and band or buttoned up black coat and band. The dress for the two other Members shall be white or striped or black pant with black coat over white shirt and black tie or buttoned up black coat. In the case of a female Presiding Officer or a Member, the dress shall be black coat over a white saree."

[F. No. 5/33/CM/03]

U.K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 142(E) dated 18th February, 2000 and the Amendment Rules 2003 were published vide G.S.R. 856(E) dated 31st October 2003..

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.